



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082025-265425
CG-DL-E-14082025-265425

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3611] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947
No. 3611] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3703(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2113 तारीख 09/05/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 के कि.मी. 530 से कि.मी. 545.3 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15.05.2025 और 18.05.2025" समाचार पत्र की दिनांक " को "दैनिक सवेरा" और "स्टेट टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

| राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर | | | जिले का नाम: जम्मू | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---|
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| तालुक का नाम: नगरोटा | | | | | |
| गांव का नाम: पंजाग्रेन | | | | | |
| 1 | 888 | निजी | एंग्रीकल्चर | 0.10116 | चरण दास, नेक राम, तारा चंद पुत्र। विम्बला देवी, शामो देवी बेटियाँ, भांजो पत्नी कांगी। |
| Total | | | | 0.10116 | |

[फा. सं. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/001/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3703(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2113 Dated:09/05/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5 in the stretch of land from Km. 530 to Km. 545.3 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Dainik Savera*” and “*StateTimes*” both dated *15.05.2025 and 18.05.2025 respectively*; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-NE5 in the stretch of land from Km. 530 to Km. 545.3 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR

| State: JAMMU & KASHMIR | | | District: JAMMU | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--|
| Sl. No. | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land | Area (in Hectares) | Name of Land Owner/Interested Person |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Taluk: Nagrota | | | | | |
| Village: Panjgrain | | | | | |
| 1 | 888 | Private | Agriculture | 0.10116 | Charan Dass, Nek Ram, Tara Chand sons. Bimbla Devi, Shamo Devi daughters, Bhanjo Wd/o Kangi. |
| Total | | | | 0.10116 | |

[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/001/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director